

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
Department of Information Technology &  
Communication

क्रमांक : F11(135)/DoIT/Project/12/pt-III/05382/2021

दिनांक : 29-12-2021


समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता,  
ई-मित्र परियोजना  
राजस्थान, जयपुर।

विषय : ई-मित्र सेवाओं की रेट लिस्ट के नवीन प्रारूप के क्रम में।

उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है की विभाग द्वारा ई-मित्र परियोजना के अंतर्गत प्रचलित ई-मित्र सेवाओं की रेट लिस्ट के प्रारूप को समाप्त करते हुए रेट लिस्ट का नवीन प्रारूप जारी कर दिया गया है। जिसका प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

अतः सभी ई-मित्र कीओस्कों पर 31 मार्च 2022 तक ई-मित्र सेवाओं की रेट लिस्ट का नवीन प्रारूप लगवाना सुनिश्चित करें। 01 अप्रैल 2022 से रेट लिस्ट का पुराना प्रारूप मान्य नहीं होगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार



(आर. के. शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक, DoIT&C

क्रमांक : F11(135)/DoIT/Project/12/pt-III/05382/2021

दिनांक : 29-12-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, DoIT&C, राजस्थान ।
2. निजि सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, DoIT&C, राजस्थान ।
3. निजि सचिव, समस्त जिला कलक्टर, समस्त जिले राजस्थान
4. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, जिला कार्यालय DoIT&C, समस्त जिले।
5. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक, DoIT&C



# ई-मित्र पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं की दरें



श्रेणीवार दरें	सेवाएं
समस्त प्रकार की सरकारी सेवाओं हेतु आवेदन - 50 रु. प्रति सेवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल निवास, जाति, अल्पसंख्यक, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन, पालनहार योजना, किरायेदार, घरेलू नौकर के सत्यापन, बेरोजगारी भत्ते, रोजगार पंजीकरण एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेज में प्रवेश आदि सेवाओं हेतु आवेदन।</li> </ul>
2000 रु. तक की फीस के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 10 रु. 2000 रु. से अधिक राशि पर प्रति 1000 रु. पर 2 रु. की वृद्धि	<ul style="list-style-type: none"> <li>● विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेज की फीस जमा</li> <li>● विभिन्न विभागों के डिमांड नोट राशि एवं फीस जमा</li> </ul>
प्रमाण पत्रों का प्रिंट आउट 20 रु. प्रति पृष्ठ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल निवास, जाति एवं अल्पसंख्यक, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रिंट, राशनकार्ड सहित अन्य प्रमाण पत्र का प्रिंट।</li> </ul>
सादे कागज पर प्रिंट 10 रु. प्रतिपृष्ठ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जमाबंदी की नकल, सीमाज्ञान एवं गीरदावरी की प्रति।</li> </ul>
निःशुल्क सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बिजली, पानी, टेलिफोन बिलों का भुगतान एवं जन आधार कार्ड नामांकन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन, दिव्यांगजन पंजीयन</li> </ul>
समस्त वाणिज्यिक सेवाओं हेतु आवेदन - 100 रु. प्रति आवेदन	पीवीसी कार्ड पर प्रिंटआउट - 30 रु. प्रति प्रिंट
नोट : 1. उपरोक्त सभी दरें समस्त करें सहित है। 2. विभागीय शुल्क अतिरिक्त है।	सेवा उपलब्ध न होने या दरों से सम्बन्धित शिकायत हेतु टोल फ्री नं. 181 पर कॉल करें या सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क करें
	अधिक जानकारी के लिये <a href="http://www.emitra.rajasthan.gov.in">www.emitra.rajasthan.gov.in</a> पर लॉगइन करें।